प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अज्ञात महिला की हत्या की घटना का सफल अनावरण, आलाकत्ल सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 22.11.22

दिनांक 08.11.2022 को ग्राम गुलरहिया के पास खेत में एक अज्ञात महिला का शव मिलने के संबंध में थाना रामपुर कलां पर मु0अ0सं0 297/22 धारा 302/201 भा.द.वि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा टीमों का गठन कर घटना के अनावरण व गहनतापूर्वक विस्तृत जांच कर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर संलिप्तो की शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

अनावरण का विवरण- अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री एन.पी.सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सिधौली श्री यादवेंद्र यादव के नेतृत्व में स्वाट/सर्विलांस व थाना रामपुरकलां पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए संकलित साक्ष्यो के आधार पर प्रकाश में आए संलिप्त दो अभियुक्तों 1.पंकज मौर्य पुत्र स्व0 कामता प्रसाद मौर्य निवासी ग्राम लौना थाना रामपुर कलां सीतापुर 2.दुर्जन पासी पुत्र ठाकुर पासी निवासी ग्राम पट्टी मजरा लौना थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त पंकज उपरोक्त की निशानदेही पर मृतका के पैर की हड्डी, आला कत्ल गढांसा, मृतका के साड़ी के खून लगा टुकड़ा तथा अभियुक्त दुर्जन उपरोक्त के पास से एक अदद प्लास्टिक के थैले में एक अदद धोती, एक अदद गमछा व एक अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना बरामद हुई है।

दिनांक 08.11.2022 को ग्राम गुलरहिया के पास खेत में एक अज्ञात महिला का शव मिला था जिसके संबंध में थाना रामपुरकलां पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गठित टीमो द्वारा महिला की शिनाख्त के निरंतर अथक प्रयास किये गये, महिला की पहचान श्रीमती ज्योति उर्फ स्नेहा पत्नी पंकज मौर्या निवासी ग्राम लौना थाना रामपुरकलां जनपद सीतापुर के रूप में हुई जिसके पति पंकज उपरोक्त से पूछताछ में अपनी पत्नी के नशीली गोलियो/दवाओ का सेवन करने तथा कई कई दिनो के लिये अक्सर किसी के घर जाकर रुक जाने तथा समझाये जाने पर भी सुधार न होने एवं इस प्रकार आपसी संबंध खराब होने के कारण अपने मित्र दुर्जन उपरोक्त व जीवन पुत्र बाबूराम मोची निवासी ग्राम लौना थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर के साथ मिलकर योजना बनाकर दिनांक 07.11.22 को हत्या की घटना कारित करना स्वीकार किया है। संलिप्त दोनो अभियुक्तों पंकज व दुर्जन उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के सफल व शीघ्र अनावरण पर संयुक्त पुलिस टीम को 25,000/-रुपये के इनाम से पुरस्कृत किया गया है।

अनावरित अभियोग- मु0अ0सं0 297/22 धारा 302/201 भा.द.वि थाना रामपुरकलां सीतापुर

अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. पंकज मौर्य पुत्र स्व0 कामता प्रसाद मौर्य निवासी ग्राम लौना थाना रामपुर कलां सीतापुर
2. दुर्जन पासी पुत्र ठाकुर पासी निवासी ग्राम पट्टी मजरा लौना थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर

बरामदगी- मृतका के पैर की हड्डी, आला कत्ल गढांसा, मृतका के साडी के खून लगा टुकड़ा, एक अदद प्लास्टिक के थैले में एक अदद धोती, एक अदद गमछा व एक अदद घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना

स्वाट/सर्विलांस पुलिस टीम–

1. निरीक्षक श्री सतेंद्र विक्रम, स्वाट/सर्विलांस टीम
2. का.उमेश मिश्रा
3. का.रवि वर्मा
4. का.अनुराग पांडेय
5. का.सोहन पाल
6. का.राहुल कुमार
7. का.सुमित राघव
8. का.दानवीर
9. म.का.डॉली रानी

पुलिस टीम थाना रामपुर कलां –

1. थानाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार सिंह
2. वरिष्ठ उ0नि0 मेराज अहमद
3. का0 अजीत यादव
4. का0 ओमेन्द्र कुमार
5. का0 अवनीश कुमार
6. का0 जीतू कुमार
7. म0का0 राधा पुण्डीर

ICON

ICON

ICON